न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 13/2024

बनाम

अपीलांटः–	रेस्पोडेंट :–
1. जोगाराम पुत्र श्री मंगलाराम निवासी बैनिवालों की ढाणी झाक, तहसील बाटाडू, जिला बाड़मेर	1. तहसीलदार, पचपदरा

आदेश

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थी जोगाराम पुत्र श्री मंगलाराम निवासी बैनिवालों की ढाणी झाक, तहसील बाटाडू, जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उतरदाता तहसीलदार पचपदरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया कि रेस्पोडेंट द्वारा सूचना समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध कराई गई है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पालना नहीं की गई है।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट ने अवगत कराया कि अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः पूर्व में सूचना प्राप्त होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा